भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण

(भारत सरकार)
एन सी यू आई भवन (चौथी मंजिल)
3, सिरी इंस्टिटूस्नल एरिया
अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौज खास,
नई दिल्ली - 110016

परखकर्ता / परख एजेंसियो या फर्मो का पैनल बनाने संबंधी दिशानिर्देश

भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण

(भारत सरकार)

दिनांक 02.12.2020

अध्याय - 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और उद्देश्य

(1) इन दिशानिर्देशों को परखकर्ता / परख एजेंसियो या फर्मो का पैनल बनाने संबंधी दिशानिर्देश कहा जाएगा ।

(2) इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य कृषि/बागवानी वस्तुओ को परखने मे विशेषज्ञता रखने वाले प्रशिक्षित और योग्य व्यक्तिओ के माध्यम से भांडागारों मे सुपरिभाषित परख गतिविधियो को बढ़ावा देना है । तदनुसार ये दिशानिर्देश परखकर्ताओ के पैनल के लिए परखकर्ता के दायित्वो और अनिवार्यताओं संबंधी प्रक्रिया को परिभाषित करते है ।

2. परिभाषाएँ

इन दिशानिर्देशों मे जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

क) "अधिनियम" का अर्थ भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 है ।

ख) "आवेदक" का अर्थ इन दिशानिर्देशों के अध्याय II के अंतर्गत प्राधिकरण मे आवेदन करने वाला वह व्यक्ति / फ़र्म/ एजेंसी जो स्वयं को पैनल मे रखने की मांग कर रहा है ।

(ग) “परखकर्ता” का अर्थ उस व्यक्ति से हे जिसे प्राधिकरण ने अपने पैनल मे रखा है तथा जो डब्लू डी आर ए द्वारा निर्धारित परख मापदंडो के अनुसार वस्तु की परख करेगा ।

(घ) "परख एजेंसी या फर्म" का अर्थ है कोई एजेंसी/फर्म जो योग्यता प्राप्त तथा लाइसेंस प्राप्त परखकर्ताओ द्वारा गठित है या कोई एजेंसी जो योग्य और लाइसेंस प्राप्त परखकर्ताओ को रोजगार देती है ।

ङ) "प्राधिकरण" का अर्थ अधिनियम के तहत स्थापित भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण से है ।

च) “इंमपैनलमेंट” का अर्थ पैनल मे रखना अर्थात इन दिशानिर्देशी के तहत कृषि -वस्तुओ की परख के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तिओ के समूह का चयन करना है ।

छ) " ग्रेड " का अर्थ केंद्र सरकार द्वारा कृषि उपज (ग्रेडिंग और अंकन) अधिनियम, 1937 या वर्तमान मे प्रभावी किसी अन्य कानून के अंतर्गत किसी भी सामान की गुणवता का मानक जिसे ग्रेड पदनाम के रूप मे अधिसूचित किया गया हे ।

(ज) "दिशानिर्देश" का अर्थ प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए और समय - समय पर संशोधित इन दिशानिर्देशों से है।

(झ) "निरीक्षण" का अर्थ अधिनियम, नियमो, विनियमों और दिशानिर्देशों / परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन के आंकलन के लिए किसी भांडागार की जांच, स्टॉक और उपकरणो का भौतिक सत्यापन और उनकी जांच, एक या अधिक भांडागारों, अन्य कार्यालय या भांडागारपाल के परिसर से रिकॉर्ड, दस्तावेज़, नमूने और रिकॉर्ड संबंधी जानकारी प्राप्त करना है ।

(ञ) "परक्राम्य भांडागार रसीद" का अर्थ भांडागार रसीद से है जिसके अंतर्गत उसमे अंकित सामान को जमाकर्ता को डिलीवर किया जाना है अथवा वह आदेश, जिसमे प्रष्ठांकन मे दिये गए माल के हस्तांतरण का संबन्धित व्यक्ति को हक मिलता है ।

(ट) "अपरक्राम्य भांडागार रसीद" का अर्थ भांडागार रसीद से है जो परक्राम्य भांडागारों रशीद से भिन्न है ।

(ठ) “विनियम” का अर्थ भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 और इन दिशानिर्देशों के तहत बनाया गया विनियम है।

(ड) "अनुसूची" का अर्थ इन दिशानिर्देशों के साथ लगाई गयी अनुसूची से है ।

(ण) "मानक संचालन प्रक्रिया" का अर्थ चरण- दर- चरण निर्देशों का एक सैट है जो संगठन द्वारा जटिल एवं नियमित संचालन करने के लिए संकलित किया गया है और जिसका उदेश्य संचालन को सही ढंग से और हमेशा उसी के अनुसार चलाने से है।

(त) "भांडागारपाल" का अर्थ उस किसी व्यक्ति से है जिसे प्राधिकरण द्वारा किसी भांडागार अथवा भांडागारों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया गया है अथवा कोई मान्यता प्राप्त एजेंसी है जिसे भांडागारण व्यवसाय चलाने की अनुमति है।

(थ) "भांडागारण व्यवसाय" का अर्थ भांडागारों का रख रखाव करते हुए परक्राम्य भांडागार रसीदे जारी करना है।

इन दिशानिर्देशों मे प्रयोग किए गए शब्दो और अभिव्यक्तियों जिन्हे परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन जिन्हे यहाँ तथा अधिनियम, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमो और विनियमों मे परिभाषित किया गया है, उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम, नियमो तथा विनियमों मे दिया गया है।

द्वितीय अध्याय

परखकर्ता / परख एजेंसियो या फर्मो का पैनल बनाना

3. कार्यक्षेत्र

भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्लू डी आर ए) जिसे यहा आगे "प्राधिकरण" कहा गया है, एक वैधानिक नियामक निकाय है, जिसकी स्थापना भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 24 के अंतर्गत की गयी है । अन्य के साथ साथ डब्लू डी आर ए का एक कार्य ऐसे भांडागारों का विनियमन करना है जो परक्राम्य भांडागार रशीद जारी करते है। प्राधिकरण द्वारा आधारभूत सुविधाए / संगठनात्मक मानक, मानक संचालन प्रक्रियाए रखने वाले तथा स्थानीय कानूनों का अनुपालन करने वाले भांडागारों का पंजीकरण किया जाता है। उन्ही भांडागारों का पंजीकरण किया जाता हे जो परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करना चाहते है।
पूर्व के नियमी को अधिक्रमण कर नए पंजीकरण नियम अर्थात भांडागारों का पंजीकरण नियम, 2017, भारत सरकार द्वारा 23 फरवरी, 2017 को अधिसूचित किए गए थे ।

3.1 छोटे भांडागारों की सुविधा के लिए, विशेष रूप से प्राथमिक सहकारी समितियों / किसान उत्पादक संगठनो जिनके पास कृषि वस्तुओ के श्रेणीकरण के लिए अपने परखकर्ता नहीं है, डब्लू डी आर ए योग्यताप्राप्त पेशेवर ऐसे परखकर्ताओ का पैनल बनाने का इच्छुक है ताकि भांडागारपाल द्वारा वैकल्पिक आधार पर कृषि वस्तुओ के नमूनाकरण एवं ग्रेडिंग, वर्गिकरण तथा श्रेणीकरण के लिए उनकी सेवाए ली जा सके । पंजीकृत भांडागारों मे कृषि उत्पादो की परख की जिम्मेदारिया संबन्धित भांडागारों की होगी । ये सेवाए केवल उन भांडागारों के लिए होगी, जो इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद (ई - एन डब्लू आर) जारी करने से पूर्व अपनी अनिवार्यताए पूरी करने के लिए पैनल मे रखे गए परखकर्ताओ की सेवाए लेना चाहते है।

3.1.1 वैकल्पिक रूप से किसी फ़र्म या एजेंसी जो योग्य और लाइसेंस प्राप्त परखकर्ताओ द्वारा बनाई गयी है अथवा वह फ़र्म या एजेंसी जो परख के काम मे लगी हुई है तथा जिसमे योग्यताप्राप्त लाइसेंस प्राप्त परखकर्ता काम करते है, उन्हे भी पैनल मे रखा जा सकता है।

3.1.2 जहां भांडागारपाल द्वारा परख की वर्तमान प्रणाली, योग्यताप्राप्त, प्रशिक्षित कर्मचारियो के माध्यम से चलायी जा रही है, वह पहले की तरह जारी रहेगी । भांडागारों के पंजीकरण के लिए डब्लू डी आर ए द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओ मे कोई परिवर्तन नहीं होगा और यह अधिनियमो/ विनियमों / दिशानिर्देशों के अनुसार ही रहेगी ।

3.3 अतः भांडागारों मे डब्लू डी आर ए के मानको के अनुसार अपेक्षित सभी प्रयोगशाला उपकरण रखे जाएँगे ।

3.4 भांडागारपाल, पैनल मे रखे गए किसी परखकर्ता / परख एजेंसी अथवा फ़र्म की सेवाए अपनी पसंद के अनुसार ले सकेगा ।

3.5 पैनल मे रखे गए परखकर्ताओ की सूची भांडागारपाल की सहायता के लिए है तथा किसी भी प्रकार से प्रतिभधात्मक नहीं है।

3.6 सभी क्षेत्रो मे अखिल भारतीय आधार पर परखकर्ताओ की आवश्यकता होगी ताकि उन्हे अपने निकट के भांडागार मे सेवाए देने के लिए बुलाया जा सके ।

4. परखकर्ताओ के पैनल के लिए आवेदन आमंत्रित करना

प्राधिकरण, परखकर्ता / परख एजेंसी / फ़र्म को पैनल मे रखने के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा । पैनल मे रखने की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया होगी तथा परखकर्ता / परख एजेंसियो / फ़र्मो के लिए अनुसूची 2 मे दिये गए पात्रता मापदंड पूरा करने वालो से जब भी आवेदन पत्र प्राप्त होंगे, कार्यवाही की जाएगी ।

5. आवेदन प्रस्तुत करना

i) आवेदक अनुसूची 1-क मे निर्दिष्ट प्रारूप मे आवेदन प्रस्तुत करेगा **।** परख एजेंसियो / फ़र्मो के लिए अनुसूची 1-ख मे निर्दिष्ट प्रारूप मे आवेदन करना आवश्यक है।

ii) प्राधिकरण आवेदन को तभी पूरा मानेगा जब निम्नलिखित सभी आवश्यकताओ की पूर्ति होगी:

(क) आवेदक द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से पैनल के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

(ख) आवेदक इन दिशानिर्देशों की अनुसूची 1 -क अथवा 1-ख एवं ग के तहत आवश्यक सभी दस्तावेजो को जमा करता है।

(ग) आवेदक यह घोषणा करता है की वह भांडागारण व्यवसाय मे सलग्न नहीं है ।

iii) प्राधिकरण आवेदक से अतिरिक्त सूचना मांग सकता है। आवेदक को उस समय सीमा के भीतर जानकारी प्रस्तुत करनी होगी जैसा की प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

6. आवेदन की पावती

i) प्राधिकरण आवेदन की प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर आवेदन की पावती भेजेगा ।

ii) पैनल मे रखने के लिए आवेदन जमा करना ही प्राधिकरण को बाध्य नहीं करेगा कि उसे इस दस्तावेज़ के तहत आवेदक को परखकर्ता / परख एजेंसी / फ़र्म के रूप मे सूचीबद्ध करना है।

7. पैनल के लिए अपात्र व्यक्ति

i) कोई भी व्यक्ति जिसे भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी भी या सरकारो से जुड़े किसी भी संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया हो तो, उसे परखकर्ता के रूप मे पैनल मे रखने से वंचित किया जाएगा ।

ii) प्राधिकरण के पास पंजीकृत कोई भांडागारपाल अथवा भांडागारपाल से समबद्ध कोई व्यक्ति इस उद्देश्य के लिए पात्र नहीं होगा ।

iii) आवेदक को कृषि वस्तुओ के भांडागार व्यवसाय मे नहीं होना चाहिए ।

8. आवेदको की पात्रता और आवेदनो का मूल्यांकन

i) प्राधिकरण आवेदनो का मूल्यांकन तभी करेगा जब वे खंड 5(2) के अनुसार पूर्ण होंगे ।

ii) यदि आवेदन अनुसूची -2 के मानदंडो के आधार पर है और प्राधिकरण संतुष्ट है कि आवेदक अनुसूची -2 मे दिये गए मानको के अनुसार है, तभी पात्रता के लिए मूल्यांकन किया जाएगा ।

9. परखकर्ता / परख एजेंसियो / फ़र्मो को पैनल मे रखना

i) यदि प्राधिकरण आवेदक को सूचीबद्ध करने का फैसला करता हे तो वह आवेदक को लिखित या इलेक्ट्रोनिक सूचना जारी करेगा तथा सूचना जारी होने के 14 कार्य दिवस अथवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय के अंदर आवेदक को निर्धारित प्रारूप मे अनुबंध प्रस्तुत करने के लिए कहेगा ।

ii) यदि आवेदक लिखित स्वीकृति तथा अनुबंध प्रस्तुत करता है तो प्राधिकरण उसे परखकर्ता के रूप मे सुचीबद्ध करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए पैनल मे रखेगा । जब तक

उस द्वारा इस तरह के इंपैनलमेंट से नाम वापिस नहीं लिया जाता या इसे अवधि से पहले रद्द नहीं किया जाता है।

iii) यदि किसी एजेंसी या फ़र्म को सूचीबद्ध करने के पश्चात उसे बाद मे अतिरिक्त परखकर्ता (ओ) की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे प्रत्येक परखकर्ता के लिए अनुसूची 1-ग मे दिये अनुसार आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

iv) यदि पैनल मे डाली गयी किसी एजेंसी या फ़र्म द्वारा पैनल मे रखे गए किसी परखकर्ता को हटाया जाता है, तो उसे तुरंत लिखित मे डब्लू डी आर ए को प्रस्तुत करना होगा /सूचना देनी होगी ।

10. आवेदनो की अस्वीकृति के लिए प्रक्रिया

i) यदि प्राधिकरण पाता है कि आवेदक खंड 5 के तहत आवेदक -पात्रता कि आवश्यकताए पूरी नहीं करता है तो, वह किसी आवेदन को रद्द कर सकता हे ।

ii) यदि आवेदक द्वारा खंड 5 के तहत प्रस्तुत कोई सूचना गलत पायी जाती है तो प्राधिकरण आवेदन को रद्द कर सकता है।

iii) प्राधिकारण किसी आवेदन को रद्द कर सकता है यदि आवेदक खंड 5 (iii) के तहत निर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राधिकरण द्वारा मांगी गयी आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं करता है।

(iv) प्राधिकरण किसी आवेदन को रद्द कर सकता है यदि वह आवेदक को खंड 5 के अंतर्गत अयोग्य पाता है।

(v) प्राधिकरण किसी अन्य आधार पर किसी आवेदन को रद्द कर सकता है यदि लिखित मे दर्ज करने के बाद संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक है।

अध्याय - III

परखकर्ता/ परख एजेंसी /फ़र्म की जिम्मेदारियां तथा अनिवार्यताए

11. जिम्मेदारियां तथा अनिवार्यताए

i) पैनल मे रखे गए जब किसी परखकर्ता को किसी भांडागारपाल द्वारा परख कार्य के लिए बुलाया जाएगा, तो उसके द्वारा निम्नलिखित गतिविधिया क्रियान्वित करना आवश्यक होगा :

क) बी आई एस तथा निर्धारित नमुनाकरण प्रक्रिया तथा डब्लू डी आर ए के मानक संचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) के अनुसार परख किए जाने वाले स्टॉक से नमूने लेना ।
ख) वस्तु विशेष के लिए डब्लू डी आर ए के परख मापदंडो के अनुसार परख प्रक्रिया का अनुपालन करना ।
ग) अन्य एजेंसी जैसे कोमोडिटी एक्सचेंज/ ई -नैम प्लेटफार्म अथवा अन्य डिजिटल प्लैटफ़ार्म या किसी विपणन चेनल कि आवश्यकताओ की पूर्ति, भांडागारों कि आपेक्षाओ के अनुरूप किन्ही अन्य मानदंडो के अनुसार विश्लेषण किया जाएगा ।
घ) उसे केवल भौतिक विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी । यदि कोई रासायनिक विश्लेषण आवश्यकता है, तो भांडागारपाल किसी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला या एजेंसी से उसके लिए स्वयं की व्यवस्था करेगा ।

ii) भौतिक मानदंडो परख के लिए अपेक्षित सभी उपकरण भांडागारपाल द्वारा प्रदान किए जाएँगे। ये सभी उपकरण भांडागार मे रखे जाएँगे, जैसा कि डब्लू डी आर ए द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।
iii) परखकर्ता सभी अपेक्षित विश्लेषण करने के पश्चात विश्लेषण के विवरण के आधार पर अंतिम ग्रेडिंग का प्रमाणपत्र भांडागारपाल तथा जमकर्ता को देगा । यदि उस द्वारा वांछित होगा तो वह डब्लू डी आर ए के एस ओ पी के अनुसार नमूनो को एकत्र तथा संरक्षित कर सकता है। परखकर्ता द्वारा अपने रेकॉर्ड के लिए एक अतिरिक्त संदर्भ नमूना भी रखा जा सकता है।

iv) किसी भौतिक विश्लेषण /परख/ग्रेडिंग के लिए शुल्क भांडागारपाल द्वारा वहन किया जाएगा चूंकि यह भांडागारपाल का प्रथम दायित्व है ।

v) परखकर्ता को यह भी प्रमाणित करना होगा कि उसने डब्लू डी आर ए द्वारा निर्दिष्ट एस ओ पी निर्देशों के अनुसार विश्लेषण पूरा कर लिया है। उक्त विश्लेषण से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद कि स्थिति मे ; संदर्भ नमूना एन ए बी एल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, एफ एस एस ए आई /केन्द्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला/ डब्लू डी आर ए मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला मे सभी हितधारको के संयुक्त हस्ताक्षर तथा मोहर के अंतर्गत गुणवत्ता निर्धारण के लिए भेजा जाएगा।

vi) जब भी भांडागारपाल किसी परखकर्ता से या किसी फ़र्म या एजेंसी के मामले मे उससे संपर्क करेगा तो परखकर्ता या एजेंसी को अपने योग्यताप्राप्त तथा लाइसेन्स प्राप्त परखकर्ता को सहमत समय पर स्टॉक नमुनाकरण तथा विश्लेषण के लिए भांडागार पर रिपोर्ट करनी होगी।

vii) यह माना जाता है कि सामान्य परिस्थितियो मे परखकर्ता उसी दिन नमूना लेकर अंतिम विश्लेषण रिपोर्ट देगा ।

viii) यदि परखकर्ता संबन्धित भांडागारपाल के खून के रिश्ते मे अथवा रिश्तेदार के रूप मे है, जैसा की कंपनी अधिनियम, 2003 मे परिभाषित है, परखकर्ता नमूना नहीं लेगा और विश्लेषण कार्य नहीं करेगा तथा तुरंत भांडागार प्रबन्धक को कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए सूचित करेगा।

ix) यदि यह पाया जाता है की 5% से अधिक मामलो मे विश्लेषण ग्रेड /श्रेणी /मूल्यांकन के लिए प्राकृतिक कारणो से उत्पन्न स्वीकार्य परिवर्तनों को छोड कर यदि किसी उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा सुपर चैक के दौरान अति घोषित या कम पाया गया है तो डब्लू डी आर ए द्वारा परखकर्ता/ परख एजेंसी /फ़र्म का इंमपैनलमेंट रद्द कर दिया जाएगा ।

x) परखकर्ता को संबन्धित राज्य द्वारा जारी तौल, नमुनाकरण, श्रेणीकरण लाइसेन्स की समाप्ति के साथ ही यह इंमपैनलमेंट स्वत: समाप्त हो जाएगा ।

xi) डब्लू डी आर ए के पास किसी परखकर्ता या सभी परखकर्ताओ या परख एजेंसी या फ़र्मों का इंमपैनलमेंट निलंबित /समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

xii) परखकर्ता/ परख एजेंसी या फ़र्म, परख का कार्य किसी अन्य व्यक्ति को आउटसोर्स नहीं करेगी तथा इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत सभी रिपोर्ट एवं पत्रादि परखकर्ता/ परख एजेंसी या फ़र्म के नाम तथा प्राधिकार के तहत होंगे।

xiii) परखकर्ता/ परख एजेंसी या फ़र्म के पास वैध गैर -प्रकटीकरण एग्रीमेंट होना आवश्यक होगा। इन दिशानिर्देशो के अंतर्गत प्राधिकरण के साथ हुआ अनुबंध उसे किसी भी जानकारी को प्रकट करने के लिए रोकता है सिवाय उस स्थिति के जब ऐसा करना किसी अदालत, ट्रिबुनल या कानून प्रवर्तन एजेंसी के आदेश के अंतर्गत आवश्यक है।

अध्याय - IV

परख के लिए भुगतान

12. परख के लिए भांडागार द्वारा परखकर्ता / परख एजेंसी / फ़र्म को भुगतान

व्यावसायिक शुल्क का भुगतान भांडागारपाल द्वारा किया जाएगा जैसा कि परखकर्ता / परख एजेंसी या फ़र्म तथा भांडागारपाल के मध्य इसके लिए सहमति बनेगी । व्यवसायिक शुल्क के अलावा और कोई भत्ता भांडागारपाल द्वारा देय नहीं होगा ।

अध्याय - V

इंमपैनलमेंट रद्द तथा समर्पण करना

13. इंमपैनलमेंट रद्द करना

प्राधिकरण, परखकर्ता / परख एजेंसी या फ़र्म का निम्नलिखित एक या अधिक कारणो से इंमपैनलमेंट रद्द कर सकता हे :

क) परखकर्ता / परख एजेंसी या फ़र्म को जिन शर्तो पर पैनल मे रखा गया था, यदि वह किसी भी शर्त का पालन करने मे विफल रहता है।

ख) परखकर्ता / परख एजेंसी या फ़र्म इन दिशानिर्देशों के तहत उसे जारी किसी पत्रादि का उत्तर देने मे विफल रहती है।

ग) परखकर्ता / परख एजेंसी या फ़र्म कपट और दुर्भावनाओ मे लिप्त है।

घ) लाइसेन्स की शर्तो या अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमो एवं विनियमों के प्रावधानों का पालन करने मे विफल रहता है, या

च) तौल, नमूनाकरण, ग्रेडर के लिए प्राप्त लाइसेन्स का नवीनीकरण कराने मे विफल रहता है।

अध्याय - V

अनुसूचियाँ

अनुसूची 1-क

<u>व्यक्तिगत परखकर्ता के इमपैनलमेंट के लिए आवेदन पत्र</u>

आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाए

सेवा मे,

निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)
भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण
एन सी यू आई भवन (चौथी मंजिल)
3, सिरी इंस्टिटूस्नल एरिया
अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौज खास,
नई दिल्ली - 110016

विषय :- भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के लिए उसके पंजीकृत भांडागारों हेतु व्यावसायिक / तकनीकी सहायता सेवा उपलब्ध कराने हेतु परखकर्ता के रूप मे इंमपैनलमेंट के लिए आवेदन पत्र -

प्रिय महोदय

मै ....(अखबार का नाम) दिनांक ....मे प्रकाशित आपके विज्ञापन के प्रत्युतर मे, एततद्वारा भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजो सहित परखकर्ता के रूप मे इंमपैनलमेंट के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करता हू : -

1. आवेदक का नाम
(मोटे अक्षरो मे)

2. जन्म तिथि (तारीख / महीना / वर्ष)
3. पिता का नाम

4. शैक्षिक योग्यता (प्रमाण पत्र सलग्न करे)

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम	पूरा करने का वर्ष	विश्वविध्यालय / संगठन

5. पूरा आवासीय पता

....

....

....

6. टेलीफोन नं. / मोबाइल नं...

7. ई मेल आई डी :..

8. तौल, नमूनाकरण / ग्रेडर लाइसेन्स का विवरण (कृपया स्वयं सत्यापित प्रति सलग्न करे)

1) लाइसेन्स संख्या ....

2) जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण..

3) राज्य (कार्य क्षेत्र)

4) जारी करने की तारीख

5) ....तक वैध है।

9. सेवा मे आने के बाद से धारित पदो का विवरण -

क्रम. संख्या	पदनाम एवं तैनाती स्थान, कार्यालय के नाम सहित	से	तक	कार्य की प्रकृति

10. ग्राहक /संगठन से दस्तावेजी प्रमाण/ प्रमाण पत्र सहित किए गए परख कार्यो का विवरण -

क्रम संख्या	**संगठन / ग्राहक का नाम**	**कृषि उत्पादो के नाम सहित परख का प्रकार**	**टिप्पणी**

" 10 नमूनो की परख का विवरण ऊपर दिया गया है। मै इसके द्वारा घोषणा करता हू की मैंने कुल मिलाकार 50 या अधिक कृषि वस्तुओ की परख की है जैसा की अनुसूची 2 के पैरा 2 (क) मे अपेक्षित है"

11. आवेदक द्वारा एक योग्य और उचित व्यक्ति होने की आवश्यकताओ के होने की घोषणा -

एक योग्य और उचित व्यक्ति के लिए आवश्यकताओ के अनुपालन हेतु आवेदक द्वारा घोषणा

मै / ....(आवेदक का नाम), निवासी ....(पूरा पता) इसके द्वारा घोषणा करने सहित प्रमाणित करता हू की मैंने इन दिशानिर्देशों को पढ़ा है तथा यह पाया है की मै पात्रता की अपेक्षाओ को पूरा करता हूँ : -

क) किसी भी समय पूर्ववर्ती पाँच वर्षो मे किसी भी अपराध के लिए मुझे अदालत मे दोषी नहीं ठहराया गया है।

ख) मुझे अन - डिस्चार्ज दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।

ग) मुझे किसी भी अदालत द्वारा पागल घोषित नहीं किया गाता है।

घ) मै किसी विनियामक प्राधिकरण, राज्य या केंद्र सरकार / किसी अन्य सरकारी संस्थान द्वारा आवेदन करने की तारीख को अयोग्य /प्रतिबंधित /काली सूची के अधीन नहीं हू।

ड़) मै किसी भी अनुचित व्यवहार या किसी अन्य अपराध के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा जांच के अधीन नहीं हूँ ।

च) मे प्राधिकरण के साथ इंमपैनलमेंट की अवधि के दौरान अधिनियम, विनियम और दिशानिर्देश / समय-समय पर जारी परिपत्र नियमो के प्रावधानों का पालन के लिए सहमत हू ।

आवेदक या प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

दिनांक :

12. मै एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि : -

क) डब्लू डी आर ए के साथ इमपैनलमेंट के लिए चयन के पश्चात डब्लू डी आर ए के साथ पंजीकृत अथवा डब्लू डी आर ए तथा /अथवा डब्लू डी आर ए की इकाइयो के साथ पंजीकृत होने वाले भांडागारों के भांडागारण व्यवसाय से हट जाऊंगा

ख) परख रिपोर्ट जमकर्ता के प्राधिकृत प्रतिनिधि /भांडागारपाल को सौप दी जाएगी तथा इसकी प्रति रेकॉर्ड मे रखी जाएगी और यह संबधित जमाकर्ता / ई - एन डब्लू आर धारक की सहमति के बिना किसी अन्य पार्टी से साझा न की कि जाएगी ।

ग) डब्लू डी आर ए या डब्लू डी आर ए के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जब भी कहा जाएगा मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी ।

तारीख : आवेदक का नाम तथा हस्ताक्षर

स्थान :

सलगनक :-

क) स्व प्रमाणित आई डी और पते की प्रति सलग्न करे (अनुलग्नक - 1 मे देखे)

ख) शेक्षिक योग्यता के समर्थन मे प्रमाण पत्र

ग) योग्यता आवश्यकताओ अनुसूची -2 (क) के अनुसार आवश्यक प्रमाण, यदि लागू हो

घ) तौल, नमूनाकरण, ग्रेडर लाइसेन्स की स्वप्रमाणित प्रति जैसा की क्रम. संख्या 8 मे कहा गया है।

अनुसूची 1-ख

<u>परख एजेंसी अथवा फ़र्म के इंमपैनलमेंट के लिए आवेदन पत्र</u>

सेवा मे,

निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)
भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण
एन सी यू आई भवन (चौथी मंजिल)
3, सिरी इंस्टिटूस्नल एरिया
अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौज खास,
नई दिल्ली - 110016

विषय :- भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के लिए उसके पंजीकृत भांडागारों हेतु व्यावसायिक / तकनीकी सहायता सेवा उपलब्ध कराने हेतु परख एजेंसी अथवा फ़र्म के रूप मे इंमपैनलमेंट के लिए आवेदन पत्र -

प्रिय महोदय

मै ....(अखबार का नाम) दिनांक ....मे प्रकाशित आपके विज्ञापन के प्रत्युतर मे, एततद्वारा भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजो सहित परख एजेंसी अथवा फ़र्म के रूप मे इमपैनलमेंट के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करता हू : -

1. आवेदक से संबन्धित जानकारी (परख एजेंसी अथवा फ़र्म)

क) आवेदक का नाम

ख) आवेदक का प्रकार

(i) कंपनी

(ii) पी एस यू

(iii) साझेदारी फ़र्म

(iv) सोसाइटी

(v) सहकारी समिति

(vi) ट्रस्ट

ग) आई डी और पते के प्रमाण के रूप मे आवश्यक दस्तावेज़ के साथ पता (अनुसूची 1 मे सूचीबद्ध दस्तावेजो मे से)

घ) ई मेल पता :

ड़) टेलीफोन नंबर :

च) आवेदक या आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले आवेदक के अधिकृत प्रतिनिधि का फोटोग्राफ

छ) यदि आवेदन, आवेदक के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किया गया है तो निम्नलिखित मे से एक दस्तावेज़ अवश्य प्रदान किया जाये :-

i. पावर आफ अटोर्नी

ii. प्रतिनिधि को अधिकृत करने वाला बोर्ड का संकल्प

iii. प्रतिनिधि के पक्ष मे प्राधिकार पत्र प्रदान करने वाले व्यक्ति के पक्ष मे बोर्ड संकल्प या

iv. शासी निकाय से प्राधिकार पत्र, साजेदारी फ़र्म, सोसाइटी जैसा की मामला हो (शासी निकाय के अंतर्गत ऐसे संगठन, जो पंजीकृत निगमन दस्तावेज़ द्वारा गठित निकाय है)

ज) आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि का पता, ई मेल, फोन नंबर अवश्य दिया जाए । अनुसूची 1 मे सूचीबद्ध दस्तावेजो मे प्राधिकृत प्रतिनिधि की आई डी और पता का प्रमाण सलग्न करे ।

2. अनुसूची दो के अनुसार पात्रता से संबन्धित दस्तावेज़ और अन्य जानकारी प्रस्तुत की जाए

3 (क) निम्नलिखित प्रारूप मे घोषणा करनी होगी कि आवेदक एक फिट और उचित व्यक्ति होने कि आवश्यकताए पूरी करता /करती है।

एक योग्य और उचित व्यक्ति के लिए आवश्यकताओ के अनुपालन हेतु आवेदक द्वारा घोषणा

मै /हम ....(आवेदक का नाम), ...कंपनी/ पी एस यू / सजेदारी फ़र्म/ सोसाइटी / ट्रस्ट है; मेरा पंजीकृत कार्यालय ....(पूरा पता) स्थित है। इसके द्वारा मे / हम घोषणा करते है और प्रमाणित करते है की हमने इन दिशानिर्देशों को पढ़ा है तथा यह पाया है की हम पात्रता की अपेक्षाओ को पूरा करते है : -

क) पूर्ववर्ती पाँच वर्षो मे किसी भी समय मुझे या मेरे किसी प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति को किसी अदालत द्वारा किसी भी अपराध के लिए मे दोषी नहीं ठहराया गया है।

ख) मै या मेरे किसी प्रमुख प्रबंधिकीय व्यक्ति को अन - डिस्चार्ज दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।

ग) मुझे या मेरे किसी प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति को किसी भी अदालत द्वारा पागल घोषित नहीं किया गाता है।

घ) मै/हम किसी विनियामक प्राधिकरण, राज्य या केंद्र सरकार / किसी अन्य सरकारी संस्थान द्वारा आवेदन करने की तारीख को अयोग्य /प्रतिबंधित /काली सूची के अधीन नहीं है ।

ड़) मै/हम किसी भी अनुचित व्यवहार या किसी अन्य अपराध के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा जांच के अधीन नहीं है ।

च) मुझे और मेरे सहयोगीयो को अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा कोई अन्य कार्य के लिए लाइसेन्स नहीं दिया गया है ; तथा

छ) पंजीकृत भांडागार या भांडागार के संबंध मे जिसके पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया है, मै और मेरे किसी भी प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति मे हितो का टकराव नहीं है।

ज) मै/हम प्राधिकरण के साथ इंमपैनलमेंटअवधि के दौरान अधिनियम, विनियम और दिशानिर्देश समय समय पर जारी परिपत्र के प्रावधानों का पालन करने के लिए सहमत है।

आवेदक या प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान :

4. एक या अधिक योग्यताप्राप्त एवं लाइसेन्स प्राप्त परखकरताओ के नाम वे या तो एजेंसी / फ़र्म मे कार्यरत है या फ़र्म के पक्षकार या हितधारक है -

क) परखकर्ता का नाम 1..

क) परखकर्ता का नाम 2..

क) परखकर्ता का नाम 3..

टिप्पणी : प्रत्येक परखकर्ता के लिए अनुसूची 1-ग मे दिये गए प्रारूप मे अलग- अलग परखकर्ता के विवरण प्रस्तुत करने होंगे ।

आवेदन मे दी गई जानकारी के सत्यापन के लिए प्राधिकरण आवेदक से अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है।

दिनांक : आवेदक /प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम एवं हस्ताक्षर

स्थान :

अनुलग्नक - 1

पहचान और पते का प्रमाण आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना है ।

निम्नलिखित को आवेदक और अधिकृत प्रतिनिधि कि पहचान और पते को स्थापित करने के लिए वैध दस्तावेज़ माना जाएगा :-

1. व्यक्तिगत रूप से नीचे सूची मे दिये गए दस्तावेजो मे किसी एक की सत्यापित प्रति : -

    I. आधार कार्ड
    II. स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड) केवल पहचान प्रमाण के रूप मे
    III. ड्राइविंग लाइसेन्स
    IV. पासपोर्ट या
    V. फोटो के साथ डाकघर / अनुसूचित बैंक की वर्तमान पासबुक

2. पी एस यू के मामले मे निम्नलिखित की एक सत्यापित प्रति -

    I. संस्था की स्थापना के संबंध मे सरकार की अधिसूचना
    II. पैन कार्ड
    III. वार्षिक रिपोर्ट

3. यदि आवेदक एक कंपनी है तो इसकी एक सत्यापित प्रति -

    I. निगमन का प्रमाण पत्र
    II. एसोसीएसन का ज्ञापन
    III. एसोसीएसन के अंतर्नियम तथा
    IV. पैन कार्ड

4. यदि आवेदक एक साझेदारी फ़र्म है, तो निम्नलिखित मे से दोनों की एक सत्यापित प्रति अवश्य प्रस्तुत कि जाए :-

    I. साझेदारी फ़र्म विलेख / साझेदारी फ़र्म का विवरण
    II. साझेदारी फ़र्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र

5. यदि आवेदक एक सोसाइटी है तो निम्नलिखित दोनों की सत्यापित प्रति

    I. सोसाइटी के अंतर्नियमों का ज्ञापन
    II. सोसाइटी का पंजीकरण प्रमाण पत्र

6. यदि आवेदक एक सहकारी समिति है तो निम्नलिखित दोनों की सत्यापित प्रति -

I. समिति के उपनियम
II. समिति का पंजीकरण प्रमाण पत्र

7. यदि आवेदक एक ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के पंजीकृत डीड की एक सत्यापित प्रति अवश्य प्रस्तुत की जाए ।

अनुसूची 1-ग

परख एजेंसी अथवा फ़र्म के साथ संबद्ध प्रत्येक व्यक्तिगत परखकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण

1. परखकर्ता का नाम - ....
(मोटे अक्षरो मे)

2. जन्म तिथि (तारीख / महीना / वर्ष)

3. पिता का नाम

4. शेक्षिक योग्यता (प्रमाण पत्र सलग्न करे)

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम	पूरा करने का वर्ष	विश्वविध्यालय / संगठन

5. पूरा आवासीय पता

....

....

....

6. टेलीफोन नं. / मोबाइल नं...

7. ई मेल आई डी :...

8. तौल, नमूनाकरण। ग्रेडर लाइसेन्स का विवरण (कृपया स्वयं सत्यापित प्रति सलग्न करे)
   1) लाइसेन्स संख्या ....
   2) जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण...

3) राज्य (कार्य क्षेत्र)

4) जारी करने की तारीख

5) ....तक वैध है।

9. सेवा मे आने के बाद से धारित पदो का विवरण -

क्रम. संख्या	पदनाम एवं तैनाती स्थान, कार्यालय के नाम सहित	से	तक	कार्य की प्रकृति

10. ग्राहक /संगठन से दस्तावेजी प्रमाण/ प्रमाण पत्र सहित किए गए परख कार्यो का विवरण -

क्रम संख्या	**संगठन / ग्राहक का नाम**	**कृषि उत्पादो के नाम सहित परख का प्रकार**	**टिप्पणी**

" 10 नमूनो की परख का विवरण ऊपर दिया गया है। मै इसके द्वारा घोषणा करता हू की मैंने कुल मिलाकार 50 या अधिक कृषि वस्तुओ की परख की है जैसा की अनुसूची 2 के पैरा 2 (क) मे अपेक्षित है"

11. मै यहा घोषणा करता हूँ की

क) डब्लू डी आर ए के साथ इंमपैनलमेंट के लिए चयन के पश्चात डब्लू डी आर ए के साथ पंजीकृत अथवा डब्लू डी आर ए तथा /अथवा डब्लू डी आर ए की इकाइयो के साथ पंजीकृत होने वाले भांडागारों के भांडागारण व्यवसाय से हट जाऊंगा ।

ख) परख रिपोर्ट जमकर्ता के प्राधिकृत प्रतिनिधि /भांडागारपाल को सौप दी जाएगी तथा इसकी प्रति रेकॉर्ड मे राखी जाएगी और यह संबधित जमकर्ता / ई - एन डब्लू आर धारक की सहमति के बिना किसी अन्य पार्टी से साझा नहीं की जाएगी ।

तारीख : परखकर्ता का नाम तथा हस्ताक्षर

स्थान :

सलग्नक :-

क) स्व प्रमाणित आई डी और पते की प्रति सलग्न करे (अनुलग्नक - 1 मे देखे)

ख) शेक्षिक योग्यता के समर्थन मे प्रमाण पत्र

ग) योग्यता आवश्यकताओ अनुसूची -2 (क) के अनुसार आवश्यक प्रमाण, यदि लागू हो

घ) तौल, नमूनाकरण, ग्रेडर लाइसेन्स की स्वप्रमाणित प्रति जैसा की क्रम. संख्या 8 मे कहा गया है।

अनुसूची -2

व्यक्तिगत परखकर्ता, परख एजेंसी अथवा फ़र्म के रूप मे इमपैनलमेंट के लिए पात्रता मानदण्ड

क) <u>व्यक्तिगत परखकर्ता के रूप मे इमपैनलमेंट के लिए पात्रता मानदण्ड</u>

डब्लू डी आर ए द्वारा परखकर्ता के रूप मे पैनल मे रखने के लिए विचार करने हेतु आवेदक (स्वय व्यक्ति) को निम्नलिखित शर्ते अवश्य पूरी करनी चाहिए -

भांडागारपाल को कृषि वस्तुओ को परखने के लिए पेशेवर /तकनीकी सेवाए प्रदान करने हेतु परखकर्ता के रूप मे डब्लू डी आर ए मे इमपैनलमेंट के लिए जो की स्वयं व्यक्ति मे निम्नलिखित योग्यताए होना आवश्यक है :-

1. आवेदक एक योग्य और उचित व्यक्ति होना चाहिए
2. विज्ञान (जीव विज्ञान /जैव प्रौधोगिकी सहित), कृषि या जैव -रसायन विज्ञान या समकक्ष विज्ञान विषयो मे न्यूनतम स्नातक डिग्री जिसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र सलग्न किया जाए
3. (क) निम्नलिखित क्षेत्रो मे से एक या अधिक मे पाँच साल का अनुभव हो - भंडारण, अनुसंधान एवं विकास, कृषि उत्पादो /वस्तुओ/खाद्दय उत्पादो का नमूनाकरण और ग्रेडिंग या कृषि वस्तुओ के कम से कम 50 नमूनो का विश्लेषण किया होना चाहिए । इस मामले मे आवेदक द्वारा कम से कम कृषि/माल/वस्तुओ या खाद्द उत्पादो के दस नमूनो के विश्लेषण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

केंद्र /राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्वायत निकायो या एजेंसी ; राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई -नैम), केन्द्रीय भंडारण निगम, भारतीय खाद्द निगम, राज्य भंडारण निगम, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य कृषि विश्वविध्यालय, राज्य कृषि विभाग, विपणन और निरीक्षण

निदेशालय, राष्ट्रीय परीक्षण और अंशाकन प्रयोगशालाओ के प्रत्यानन बोर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आई एस ओ), जोखिम विश्लेषण और महत्त्वपूर्ण नियंत्रण बिन्दु (एच ए सी सी पी) अथवा अन्य राज्य केन्द्रीय एजेंसी के पूर्व अधिकारी जिनहे कृषि माल / वस्तुओ या खाद्य उत्पादो के विश्लेषण और परीक्षण का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो। इसके लिए पी पी ओ की प्रति जैसा लागू हो, प्रस्तुत की जाए ।

4. परखकर्ता प्रशिक्षित तथा लाइसेन्स प्राप्त /प्रमाणित / मान्यता प्राप्त होना चाहिए । उसे राज्य के कानूनों के अनुसार एक प्रमाणित परखकर्ता होना चाहिए ।

5. अच्छा आई टी कौशल होना चाहिए

ख) परख एजेंसी या फ़र्म के रूप इपैनलमेंट के लिए पात्रता मानदण्ड

1. आवेदक एक योग्य और उचित व्यक्ति होना चाहिए

2. पंजीकरण के आवेदन करने वाली एजेंसी / फ़र्म उपर्युक्त 'क' मे दिये व्यक्तिगत परखकर्ता के लिए निर्धारित मानदण्ड पूरे करने वाले व्यक्तियों द्वारा गठित होनी चाहिए या उपर्युक्त 'क' मे विनिर्दिष्ट मानदंडो को पूरा करने वाले एक या अधिक परखकर्ताओ की नियोक्ता होनी चाहिए।

अनुसूची -3

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के लिए परखकर्ता / परख एजेंसी या फ़र्म के इंपैनलमेंट के लिए अनुबंध

(100 रु. के गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर निष्पादित तथा नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित किया जाए)

यह अनुबंध भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण तथा.........................("परखकर्ता /परख एजेंसी या फ़र्म) के बीच आज तारीख ....,2021 को किया गया।
जबकि परखकर्ता /परख एजेंसी या फ़र्म को डब्लू डी आर ए के इंपैनलमेंट की शर्तो के अनुसार पंजीकृत भांडागारों मे सीमित सेवा प्रदान करने की अनुमति दी गयी ।

जबकि डब्लू डी आर ए इच्छा व्यक्त करता है कि परखकर्ता /परख एजेंसी या फ़र्म प्राधिकरण के साथ पंजीकृत भांडागारों मे उनके अनुरोध पर परख कार्य निष्पादित करे तथा अपने विशेषज्ञता वाले क्षेत्र मे प्राधिकरण को सेवा उपलब्ध कराए ।

अब इस प्रकार परखकर्ता /परख एजेंसी या फ़र्म डब्लू डी आर ए मे निम्नलिखित शर्तो एवं निबंधन के अधीन परख्कर्ता के रूप मे कार्य करने के लिए सहमत हो गया है :-

1. परखकर्ता /परख एजेंसी या फ़र्म इंपैनलमेंट की शर्तो के अनुसार तथा मान्यताप्राप्त भांडागारपाल एवं डब्लू डी आर ए द्वारा इसे सौपा गया संबंधित कार्य करेगा /करेगी ।
2. परखकर्ता /परख एजेंसी या फ़र्म वित्तीय प्रतिबद्धताओ मे शामिल होने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा/करेगी जिसमे प्राधिकरण को बाध्य करने की संभावना है।
3. जब तक डब्लू डी आर ए द्वारा समान शर्तो पर नए आदेश द्वारा इसे बढ़ा नहीं दिया जाता है। अनुबंध इंपैनलमेंट की समाप्ती पर स्वत: समाप्त हो जाएगा ।
4. परखकर्ता /परख एजेंसी या फ़र्म को उनके द्वारा किए गए कार्य की गोपनीयता बनाए रखनी होगी । परखकर्ता /परख एजेंसी या फ़र्म, डब्लू डी आर ए की जानकारी, जो वे अपने कार्य के दौरान हासिल करेंगे, किसी भी तीसरे पक्ष को नहीं देंगे सिवाय उस स्थिति एवं शर्तो के जो खंड 2 मे परखकर्ता के दायित्व मे दी गयी है।

5. परखकर्ता को उसे सौपे गए कार्य का निष्पादन परिश्रम, ईमानदारी और बुद्धिमता, कौशल के अनुसार तथा डब्लू डी आर ए के इंपैनलमेंट की शर्तो के अनुसार उन्हे परखकर्ता के रूप मे करने की आवश्यकता होगी।

6. परखकर्ता / परख एजेंसी या फ़र्म खुद को संयमित रखेगी और पूरी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा के साथ कार्यालय के प्रोटोकॉल के अनुसार अपने कार्यों एवं कर्तव्यो का निर्वहन करेगी।

7. इंपैनलमेंट भविष्य मे डब्लू डी आर ए मे किसी रोजगार के लिए किसी भी अधिकार को या डब्लू डी आर ए के कर्मचारियो के लिए स्वीकार्य लाभों को प्रदान नहीं करता है।

8. परखकर्ता / परख एजेंसी या फ़र्म किसी तीसरी पाटी या कार्यालयो द्वारा की गयी कारवाई के दौरान किसी घटना के लिए इंपैनलमेंट अवधि के दौरान उसके कार्यो से संबन्धित किसी प्रकार की हानि, क्षति अथवा दावो की अपरिवर्तनीय रूप से क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत है।

9. परखकर्ता / परख एजेंसी या फ़र्म द्वारा यह व्यक्त किया जाता है की वह डब्लू डी आर ए के हितो की रक्षा करेगा/करेगी तथा उसके विरुद्ध किसी द्वारा भी किए गए किन्ही दावो या मांगो कार्यवाही के विरुद्ध डब्लू डी आर ए की रक्षा करेगी तथा हानि, क्षति, ब्याज या लागत सहित उस संबंध मे डब्लू डी आर ए को क्षतिपूर्ति की जाएगी।

10. परखकर्ता / परख एजेंसी या फ़र्म की सेवाओ को इंपैनलमेंट अवधि के दौरान किसी भी पक्ष की ओर से किसी भी समय 30 दिन के नोटिस पर समाप्त किया जा सकता है।

11. यदि परखकर्ता / परख एजेंसी या फ़र्म द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ संतोषजनक नहीं पाई जाती या अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन होता है, डब्लू डी आर ए को बिना किसी नोटिस के इंपैनलमेंट को समाप्त करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा ।

12. इस इंपैनलमेंट से उत्पन्न दिल्ली मे सक्षम न्यायालय के पास विवाद तय करने का अधिकार क्षेत्र होगा ।

गवाह

1.

2. परखकर्ता / परख एजेंसी या फ़र्म

गवाह

1.

2. डब्लू डी आर ए, नई दिल्ली